नगर पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 27.12.96 दिन (शुक्रवार) अपराह्न 4.00 बजे टाउनहाल पर हुई, जो उपस्थित मान्य सभासद के नाम निम्नवत हैं।

1.	श्रीमती सत्यभामा श्रीवास्तव.	अध्यक्ष,
2	" दलजीरा	सदस्य
3	श्री सतीशकुमार सोनकर	"
4	" जगदीशकुमार सोनकर	"
5	" नरेन्द्र बहादुर सिंह	"
6	" संजयकुमार मौर्य	"
7	" श्यामबिहारी सेठ	"
8	श्रीमती चम्पादेवी चौरसिया	"
9	श्री कल्लू यादव	"
10	श्रीमती महरुनिशा	"
11	श्री गुलाबचन्द्र	"
12	श्री अतुलकुमार सिंह "गुड्डू"	"
13	श्रीमती निर्मला देवी	"
14	श्री अजय यादव	"
15	श्रीमती शर्मिला देवी	"
16	श्री जितेन्द्रकुमार चौरसिया	"
17	" शकील अहमद अंसारी	"
18	" मो० जावेद खां	"
19	" प्रमोद कुमार	"
20	" गुलाबचन्द्र शाह	"
21	" रमजान खां	"

(विजयकुमार)
अधिशासी - अधिकारी,
नगर-पालिका परिषद,
जौनपुर
27.12.96

सत्यभामा श्रीवास्तव
(सत्यभामा श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर-पालिका परिषद,
जौनपुर
27.12.96

27.12.96

नगर पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक
27.12.96 की कार्यवाही.

आज दिनांक 27.12.96 को नगर पालिका परिषद जौनपुर के बोर्ड की बैठक टाउनहाल पर अपरान्ह 4.00 बजे श्रीमती अंशुमालिनी श्रीवास्तव, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, जौनपुर की अध्यक्षता में शुरु हुयी। सर्वप्रथम अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित मान्य सभासदों को वर्ष 1996 के शरद ऋतु के अंतिम बैठक के लिये स्वागत एवं अभिनन्दन करते हुए कहा कि वर्ष 1996 पूरे वर्ष में बोर्ड का कार्यकाल सभी मान्य सभासदों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सहयोग से अच्छा रहा है तथा जिस सौहार्द वातावरण में बोर्ड को चलाया गया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए नया वर्ष 1997 जो आनेवाला है, उसके लिये सभी को बधाई देते हुए नववर्ष की मंगल कामना किया. तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही आगे शुरु हुयी। परिषद-

माननीया अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी अधिकारी श्री महेशनारायन द्वारा प्रस्ताव सं. 1 पढ़ा गया। कार्यवाही दिनांक 24-10-96 पढ़ी जा रही थी, कि इसी बीच मान्य सभासद श्री श्याम बिहारी सेठ, द्वारा एक पत्रक माननीया अध्यक्ष जी को प्रस्तुत करते हुए कहा कि सर्वप्रथम मैं इस पत्रक पर चर्चा की जाय, तभी आगे की कार्यवाही की जाय, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह बोर्ड की बैठक है, नियमों के तहत पहले बोर्ड की कार्यवाही एजेन्डा पर विचार कर लेने के उपरान्त अन्य विषय पर चर्चा की जायेगी, इस बीच मान्य सभासद श्री जगदीशकुमार सोनकर, मान्य सभासद श्री सतीशकुमार सोनकर, श्री वकील अहमद मंसूरी, श्री रमजानलाल ने कहा कि नहीं पहले इस पत्रक पर चर्चा होगी, तभी मीटिंग की अगली कार्यवाही की जायेगी, इस पर माननीया अध्यक्ष जी की अनुमति से अधिशासी अधिकारी व उनके प्रतिनिधि राजस्व अधीक्षक श्री श्रीधर यादव ने सदन को बताया कि पहले बोर्ड की कार्यवाही होने के उपरान्त एजेन्डा के अंतिम प्रस्ताव में यह स्पष्ट लिखा गया है कि अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से, ऐसी दशा में इस पत्रक पर चर्चा/विचार बोर्ड की कार्यवाही के उपरान्त अवश्य ही की जायेगी। इस पर काफी वार्तालाप को देखते हुए माननीया अध्यक्ष जी द्वारा बैठक को आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दिया गया। पुनः आधे घन्टे के बाद बैठक की कार्यवाही शुरु हुयी, जिसमें पुनः उक्त पत्रक पर चर्चा हेतु श्री श्याम बिहारी सेठ, मान्य सभासद द्वारा बात उठाई गयी, इस पर माननीया अध्यक्षा जी ने कहा

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
कि जो भी चर्चायें होंगी, वह बोर्ड के शून्य काल में की जायेगी, पहले एजेण्डा पर विचार कर लिया जाय, काफी वार्तालाप के उपरान्त कुछ माननीय सभासद सदन से स्वयं उठकर चले गये, शेष माननीय सभासद जो उपस्थित थे, बैठक की कार्यवाही हेतु कोरम पूरा था, के बीच बैठक की कार्यवाही यथावत चलती रही। सदन में श्री अतुल सिंह, श्री कल्लू पासन(?), श्री अजय पाल(?), श्री प्रकाश निषाद(?), श्री जितेन्द्र चौरसिया, मो० जावेद खाँ, श्रीमती चम्पा चौरसिया, निर्मला गुप्ता, रजनी(?), श्रीमती शर्मिला माननीय सभासद उपस्थित रहे।	
1. प्रस्ताव :- बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 25-10-96 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	पिछली कार्यवाही पढ़ी गयी, जो पुष्टि की गयी।
2. नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 2399/नौ-9-95-20(जनरल)/90 दिनांक 27-10-95 जिसके अन्तर्गत नगर स्थानीय निकायों को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से अभी तक जिन व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क नहीं लग रहा था, उन पर लाइसेन्स शुल्क प्रस्तावित कर उन्हें कड़ाई से अविलम्ब लागू करने के निर्देश दिये गये हैं, सम्बन्धी शासनादेश जो बोर्ड की बैठक दिनांक 19.1.96 के प्रस्ताव संख्या 5 के अन्तर्गत सदन के समक्ष रखा गया था, जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि सम्बन्धित लाइसेन्स शुल्क की दरों के सम्बन्ध में उपविधि तैयार करके इसे बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जाय, उसी क्रम में नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश संख्या 1995/नौ-9-1996-204 जनरल/1990 दिनांक 6-8-1996 के अन्तर्गत यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि शासनादेश दिनांक 27-10-95 में संस्तुत पुनरीक्षित दरें लागू करने हेतु अधिनियम की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उपविधियाँ बनाकर उनका प्रकाशन गजट में करा दिया जाय और तदोपरान्त	इस पर विचार किया गया। यद्यपि आज बैठक के दौरान व्यापार मंडल का एक जुलूस आया और उनके प्रतिनिधियों द्वारा शासनादेश के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया अतएव यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

27.12.96

प्रस्ताव :- | **निर्णय :-**

नई दरों पर शुल्कों की वसूली की जाय, स्थानीय निकायों की जर्जर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने एवं निकायों को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और साधनशाली बनाये जाने के उद्देश्य से जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन आवश्यक भी है, इसी प्रकार पर नगर विकास अनुभाग-1 शासनादेश संख्या 2324/नौ-9-96-82ज/96 दिनांक 5 नवम्बर 1996 के तृतीय अनुच्छेद में यह स्पष्ट निर्देश है कि स्थानीय निकायों की लाइसेंसिंग शुल्क की दरों को जो पिछले 30-35 वर्षों में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, शासन द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर पुनरीक्षित करने हेतु सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जाय एवं लागू लाइसेन्स शुल्क की दरों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन को भी अवगत कराया जाय, सम्बन्धी शासनादेश व लाइसेन्स शुल्क की दरें, जो शासन द्वारा निर्धारित की गयी है, को लागू किये जाने हेतु परिषद स्वीकृतार्थ।

3- प्रस्ताव श्री संजयकुमार मौर्य, मान्य सभासद, जिसका समर्थन मान्य सभासद सर्व श्री जितेन्द्र कुमार चौरसिया, व श्रीमती निर्मलादेवी गुप्ता ने किया, पानदरीबा रोड पर मोहल्ला शेख-मोहम्मदाबाद ~~मोहल्ला~~ में स्थित स्लाटर हाउस व उसके पीछे बगल में स्थित शौचालय की गंदगी के कारण वहाँ आसपास की जनता का रहना तथा आवागमन दुश्वार व मुश्किल हो गया है, के निदान क्रम में बन्द शौचालय के स्थान पर स्लाटर हाउस बनवाया जाय तथा स्लाटर हाउस जो मेनरोड पर है, को किसी व्यवसायिक केन्द्र या भवन के रूप में विकसित कर दिया जाय जिससे बोर्ड की रेकरिंग आय में बढ़ोत्तरी होगी एवं प्रस्तावित स्लाटर हाउस

निर्णय: सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

2 ओलन्दगंज की अजीत पर सुलभ शौचालय बनवा दिया जाय, जिससे स्वास्थ्य संबंधी से जनता को राहत के साथ साथ आवागमन में भी सुविधा रहेगी, सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद समक्ष स्वीकृतार्थ।

(विजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद जौनपुर
27.12.96

(सत्यावती श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96

नगर पालिका परिषद जौनपुर की बैठक दिनांक 27.12.96
के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम (एजेन्डा) 27.12.96

प्रस्तुत प्रस्ताव।	निर्णय।
1. राजस्व निरीक्षक आख्या बाबत मिर्जापुर रोड टैक्सी/बस स्टैण्ड सदलाजी का ठेका बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25-10-96 के अनुसार ठेका उसी को दिया जाय, जो गतवर्ष की अपेक्षा ठेके की रकम बढ़ाकर एक मुश्त रकम जमा करे और उसी क्रम में मिर्जापुर रोड, टैक्सी/बस स्टैण्ड का ठेका गतवर्ष की अपेक्षा 10515.00 अधिक आया है, पालिका बकाये का भुगतान ध्यान में रखते हुए श्री लालबहादुर सिंह पुत्र श्री राजनिरोत्तर सिंह पूर्व ठाडकेमी जिन्होंने गत वर्ष का सम्पूर्ण भुगतान किया था, एक मुश्त धनराशि प्राप्त होने का लाभ देखते हुए आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए दिया गया, परिषद अनुमोदनार्थ।	स्वीकार किया गया।
2. जन स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 19-12-96 के प्रस्ताव संख्या 1 में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था हेतु सफाई उपकरण में एक अदद ट्रैक्टर, दो अदद ट्राली, तथा 50 अदद हाथ ठेला क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत कि शासन से अनुदान प्राप्त होने पर इसकी व्यवस्था कराई जाय, अन्यथा अनुदान प्राप्त न होने पर इसे बोर्ड फण्ड से धन उपलब्ध होने पर क्रय किया जाय, परिषद अनुमोदनार्थ।	स्वीकार किया गया।
3. जन-स्वास्थ्य समिति प्रस्ताव संख्या 2 कि नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था हेतु 15 दिन का सफाई अभियान चलाया जाय और आवश्यकतानुसार एक या दो ट्रैक्टर ट्राली सहित भाड़े पर लिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव :—	निर्णय :—
4. जलकल विभागीय आख्या बावत निम्नांकित निष्प्रयोज्य उपकरणों की सार्वजनिक नीलामी करा दी जाय, जिससे बोर्ड की आय होगी।	स्वीकार किया गया।
5. निर्माण विभागीय आख्या बावत ओहदापुर तिराहे से श्री गिरजाशंकर के मकान तक सड़क सुधार हेतु 1,68,537/- एक लाख अड़सठ हजार पांच सौ सैंतीस रुपये का व्यय अनुमान परिषद अनुमोदन हेतु	स्वीकार किया गया।
6. नगरपालिका सफाई कर्मचारी संघ की मांग बावत सफाई कर्मी स्व० चुन्ना पुत्र दीन मोहम्मद जिनकी ट्रैक्टर चलाते समय दुर्घटना में अकाल मृत्यु हो गयी, को कम्पेनसेशन बोर्ड द्वारा दिये जाने के सम्बन्ध में इस आशय के साथ कि पूर्व में स्व० सलीम मिस्त्री को प्रकाश विभाग में काम करते हुए बिजली का करेन्ट लग जाने से मृत्यु हो गयी थी, को विद्युत बोर्ड द्वारा 10,000/- दस हजार रुपये कम्पेनसेशन दिया गया था, परिषद के समक्ष उनकी विधवा पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी को कम्पेनसेशन दिया जाय, प्रकरण पर परिषद विचारार्थ।	~~विचार किया गया इस प्रकरण पर बोर्ड अधिशासी अधिकारी से परामर्श ले लिया जाय। बैठके प्रस्ताव~~ सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया
7. पालिका हित/जनहित में विकास के कार्य हेतु कार्यों की बहुलता ~~को~~ ~~आवश्यक~~ को ध्यान में रखते हुये आर्थिक आय बढ़ाने के लिए अध्यक्ष द्वारा पारित समस्त ~~प्रशासनिक~~ प्रशासनिक एवं अन्य आदेश बोर्ड के अनुमोदनार्थ।	स्वीकार।

नाम सामान विवरण — मात्रा (प्रस्ताव 4):

नाम सामान विवरण	मात्रा
1. ट्रैक्टर की ट्राली जीर्ण अवस्था में	1 नग
2. श्री हबीबुल्ला का लोहा ढाँचा जीर्ण	1 नग
3. ड्रोजर गले हुये।	4 नग

निर्णय

प्रस्ताव :

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से —

① बैठक के अन्त में श्री अतुलकुमार सिंह "मुक्त" मान्य सभासद ने कहा कि जो 50,000/- पचास हजार रुपये निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत हुआ था, उसकी क्या प्रगति है? इस पर माननीया अध्यक्ष जी की अनुमति से निर्माण लिपिक ने बताया कि टेण्डर आदि कार्यवाही हो चुकी है अब जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति हेतु पत्रावली भेजी जा रही है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाने की आशा है।

② बैठक में श्रीमती चमा देवी चौरसिया, मान्य सभासद ने एक पत्रक अध्यक्ष/अधिशासी-अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर में कुछ लोग बड़े बड़े टुल्लू वाटर पम्प लगाकर पानी ले रहे हैं, जिससे उनके अगल बगल के लोगों को कुछ मुहल्लों में पानी नहीं मिल पा रहा है, इन पर नियंत्रण लगाया जाय, तथा उनको चेक किया जाय, और उनके टुल्लू जब्त किये जाँय, इस पर अध्यक्ष व अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि इस पर नियंत्रण लगाया जायेगा, तथा निरीक्षण कराया जायेगा, जो लोग टुल्लू से पानी ले रहे हैं उनके टुल्लू वाटर पम्प जब्त कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(विजयकुमार)
अधिशासी-अधिकारी
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96

संघमित्रा श्रीवास्तव
(संघमित्रा श्रीवास्तव)
अध्यक्ष.
नगर-पालिका परिषद.
जौनपुर
27.12.96

निर्माण कार्य शुरू हो जाने की आशा है।

(2) बैठक में श्रीमती रामादेवी चौरसिया, मान[illegible] ने एक प्रस्ताव अध्यक्षा/अधिशासी अधिकारी महोदय के [illegible] प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर में कुछ लोग मोटे मोटे टु[illegible] लगा[illegible] सारा खींच पानी ले रहे हैं, जिससे उनके [illegible] नहीं मिल पा रहा है। लोगों को कुछ मुहल्लों में पानी नहीं मिल पा [illegible] इस पर नियंत्रण लगाया जाय, तथा इनको रोक दिया [illegible] और इनके टुल्लू जब्त किये जाँय, इस पर अध्यक्षा [illegible] नियंत्रण लगाया जायेगा, [illegible] अधिकारी ने कहा कि इस पर निरीक्षण कराया जायेगा, जो लोग टुल्लू से पानी [illegible] उनके विरुद्ध उनके टुल्लू नगर पालिका जब्त करकर कार्यवाही भी की जायेगी।

(विजयकुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96

(सं[illegible]ध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्षा
नगर पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96

27.12.96

प्रस्ताव :- निर्णय :-

अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से –

① बैठक के अन्त में श्री अतुल कुमार सिंह "मुन्ना" मान्य सभासद ने कहा कि जो 50,000/- पचास हजार रुपये निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत हुआ था, उसमें क्या प्रगति है? इस पर माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से निर्माण लिपिक ने बताया कि टेन्डर आदि कार्यवाही हो चुकी है, अब जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति हेतु पत्रावली भेजी जा रही है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाने की आशा है।

② बैठक में श्रीमती चम्पा देवी चौरसिया, मान्य सभासद ने एक पत्रक अध्यक्ष / अधिशासी-अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि नगर में कुछ लोग बड़े बड़े टुल्लू वाटर पम्प लगाकर पानी ले रहे हैं, जिससे उनके अगल बगल के लोगों को कुछ मुहल्लों में पानी नहीं मिल पा रहा है, इन पर नियंत्रण लगाया जाय, तथा उनको चेक किया जाय, और उनके टुल्लू जब्त किये जाँय, इस पर अध्यक्ष व अधिशासी-अधिकारी ने कहा कि इस पर नियंत्रण लगाया जायेगा, तथा निरीक्षण कराया जायेगा, जो लोग टुल्लू से पानी ले रहे हैं उनके टुल्लू वाटर पम्प जब्त कराकर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(विजय कुमार)
अधिशासी-अधिकारी
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96

(संध्या रानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
27.12.96